Covid-19 / महत्वपूर्ण
संख्या– 513 /71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।
4. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उ0प्र0।
6. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
उ0प्र0।
7. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल
कालेज, उ0प्र0 द्वारा डी0जी0एम0ई0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2020

विषयः–एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण इन्टर्न को कोविड–19 के दृष्टिगत मूल मेडिकल कालेज में योगदान के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 744 दिनांक 29.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत चिकित्सा विश्वविद्यालय / मेडिकल कालेज में एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं, जिनकी इन्टर्नशिप प्रारम्भ हो गयी है तथा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण भी हो गया है, को अनिवार्य रूप से दिनांक 06.05.2020 तक अपने मूल कालेज में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

2– उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु मेडिकल कालेजों में 10000 बेड्स की व्यवस्था पूरी कर ली गयी है। ऐसे में मेडिकल कालेज में भर्ती होने वाले रोगियों के उपचार तथा अन्य विविध व्यवस्थाओं हेतु इन्टर्न की सहायता मूल्यवान होगी।

3– उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सभी इन्टर्न को अपने मूल कालेज में दिनांक 15.05.2020 तक योगदान कराना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे इन्टर्न जो किसी अन्य प्रदेश में हों या दिल्ली के अतिरिक्त बाहर दूरस्थ स्थानों पर हों तथा लॉकडाउन के कारण मूल कालेज में आने में असमर्थ हों, उन्हें उक्त आशय का ई–मेल अपने मेडिकल कालेज को प्रेषित करना होगा। यदि किसी इन्टर्न द्वारा कोविड चिकित्सालय में ड्यूटी की गयी है तथा वे 14 दिन के कोरेन्टाइन में हैं तो उन्हें उक्त आशय का प्रमाण अपने मूल कालेज को ई–मेल से

प्रेषित करना होगा तथा कोरेन्टाइन अवधि पूर्ण करने के उपरान्त अपने कालेज में योगदान करना होगा।

4— समस्त चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा अपनी—अपनी संस्था में कार्यरत इन्टर्न की सूची जिस जिले में चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थित है, वहाँ के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें छात्र का नाम, कालेज का नाम जहाँ से छात्र उत्तीर्ण हुआ है, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर तथा वर्तमान आवासीय पता अवश्य अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् ऐसे इन्टर्न छात्रों के वर्तमान आवास के जिले के जिलाधिकारी को संबंधित मूल मेडिकल कालेज के जिले के जिलाधिकारियों द्वारा ई—मेल के माध्यम से सूची प्रेषित की जाएगी ताकि इन्टर्न के वर्तमान निवास के जिले के जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित इन्टर्न को अपने मूल मेडिकल कालेज तक वापस आने हेतु पास आदि निर्गत किया जा सके। सूची उपलब्ध कराने की कार्यवाही दिनांक 08.05.2020 तक पूर्ण कर ली जाए।

5— मूल मेडिकल कालेज में योगदान करने वाले इन्टर्न की सूची, मेडिकल कालेज के प्रमुख द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 20.05.2020 तक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाए। योगदान के पूर्व कोविड—19 प्रोटोकाल के अनुसार इन्टर्न की स्क्रीनिंग/चिकित्सा जाँच प्रधानाचार्यों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव—</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
6. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1, 2 व 3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन।

संख्या—एम0ई0—3/2020/783 लखनऊ,दिनांक— 07 मई,2020

उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक—06 मई, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में दिए गये निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें : —

1— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2— कुल सचिव, के0जी0एम0यू0,लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3— निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
4— प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
5— प्रधानाचार्य, समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक